राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ–5/अभि./सीटीएडी/विविध सड़क–2/2021–22/24553–60 दि. 03/09/2021

उपायुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर।

विषय– सी.सी. सडक निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग– विभागीय प्रशासनिक स्वीकृति कमांक 2668–76 दिनांक 31.01.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत कार्यालय पंचायत समिति सागवाडा जिला डूंगरपुर से प्राप्त पत्रांक 358 दिनांक 04.03.2020 द्वारा निम्नलिखित सडक निर्माण कार्य का तकमीना एवं तकनिकी स्वीकृति अनुसार निम्नलिखित डामरीकरण सडक निर्माण कार्य की जारी प्रशासनिक स्वीकृति के कम में विभागीय आदेश परिपत्र कमांक 9609–34 दिनांक 12.03.2021 अनुसार कन्टिजेन्सी चार्ज 1.50 प्रतिशत अनुमत करते हुए जिसके अन्तर्गत 0.25 आयुक्तालय के खाते में मोनेटरिंग,निरीक्षण एवं वाहन हेतु आरक्षित रखते हुए निम्नानुसार सडक निर्माण कार्य की कॉलम संख्या 3 अनुसार राशि 48.80 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है–

कार्यकारी एजेन्सी – ग्राम पंचायत (राशि लाख रू. मे)

क.स.	कार्य का नाम व स्थान	तकनीकी स्वीकृति राशि(1.50% कन्टिजेन्सी चार्ज राशि सम्मिलित)		प्रथम किश्त राशि	0.25% कन्टिजेन्सी चार्ज राशि आयुक्त खाते में जमा होगी	प्रथम किश्त हस्तान्तरण योग्य राशि(4–5)
		क्र/दि	राशि			
0	1	2	3	4	5	6
1	स्वच्छता हेतु सी.सी. रोड मय नाली निर्माण मेन रोड से नारसिंह माता तक ग्रा.प. लसाडिया पं.स. लसाडिया	02 14.07.20	9.85	7.88	0.15	7.73
2	सी.सी. रोड मय नाली निर्माण पंतफला से मेघवाल बस्ती तक ग्रा.प. लसाडिया पं.स. लसाडिया	03 14.07.20	9.85	7.88	0.15	7.73
3	सी.सी. रोड मय नाली निर्माण तोलावत फला ग्रा.प. अग्गड पं.स. लसाडिया	05 4.07.20	9.85	7.88	0.15	7.73
4	सी.सी. रोड मय नाली निर्माण कार्य बोरफला ग्रा.प. अग्गड पं.स. लसाडिया	04 14.07.20	9.55	7.64	0.14	7.50
5	सी.सी. रोड मय नाली निर्माण संगतड़िया भैरूजी से लोगर के घर तक ग्रा.पं. कालीभीत पं.स. लसाडिया	01 14.07.20	9.70	7.76	0.14	7.62
			48.80	39.04	0.73	38.31

उपरोक्त कार्यो की कुल राशि 48.80 लाख के विरूद्व प्रथम किश्त की (80 प्रतिशत) राशि 39.04 लाख रू. की व्यवस्था आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते मे प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत स्वीकृति संख्या–80/2019–20 दि. 18.2.2020 राशि 525.00 लाख मे से कॉलम संख्या 6 अनुसार रू. 38.31 लाख उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर को देय होगी एवं कॉलम संख्या 5 अनुसार राशि 0.73 लाख मोनेटरिंग,निरीक्षण एवं वाहन हेतु आरक्षित रखते हुए आयुक्त कार्यालय के खाते जमा होगी शेष राशि कार्य की प्रगति एवं हस्तान्तरित राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर दी जायेगी।

कार्यो का सम्पादन निम्नांकित शर्तो के अधीन कराया जावे।

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब सूचित किया जावें। दोहरा व्यय के लिए सम्बन्धित पंचायत समिति एवं कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. कार्यकारी एजेन्सी एवं तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका की शर्तो के अनुसार कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जाने हेतु उत्तरदायी होगी।
3. निर्विवाद सार्वजनिक भूमि पर ही कार्य कराया जावे।
4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावें। कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण–पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लोटाई जावें।
5. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन नियम 2013 तथा सामान्य वित्त एवं लेखा नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावें।
6. इस कार्यालय के पत्र कमांक 20728–80 दिनांक 23.05.2019 द्वारा निर्देशानुसार जिन कार्य की कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत नियुक्त की गई उन कार्यो की राशि सीधे ही ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित नही कर संबंधित विकास अधिकारी पंचायत समिति को नियमानुसार हस्तान्तरित करेंगे।
7. ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधानों के अनुसार कार्यो का सम्पादन किया जावेगा एवं नियमानुसार उपयोगिता/कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर शेष राशि उपलब्ध करायेंगे।
8. कार्य स्थल पर जनजाति विभाग द्वारा निर्माण कार्य का साईन बोर्ड (Display Board) लगाया जावें।

भवदीय

(प्रज्ञा केवलरमानी)I.A.S.
आयुक्त

क्र. एफ–5/अभि./सीटीएडी/विविध सड़क–2/2021–22/24553–60 दि. 03/09/2021
दि.

प्रतिलिपी :–सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

1. निजी सचिव, मां. मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, उदयपुर ।
4. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कार्य की कुल राशि 48.80 लाख के विरूद्व कॉलम संख्या 6 अनुसार 38.31 लाख रू. उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को हस्तान्तरित करावें एवं कॉलम संख्या 5 अनुसार राशि 0.73 लाख आयुक्त कार्यालय में कार्यो की मॉनिटरिंग मद में आरक्षित रखी जावें। स्वीकृति सं. 80/2019–20 दि. 18.2.2020 राशि रू. 525.00 लाख में से हस्तांतरित होगी।
5. निदेशक, मोनिटरिंग, कार्यालय हाजा।
6. कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति लसाड़िया जिला उदयपुर।
8. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721– 24 फेक्स : 0294–2428721
ई–मेल : comm.tad@rajasthan.gov.in, Website www.tad.rajasthan.gov.in